न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका।

अर्जेन्ट वाद संख्या–08 / 2023 धारा 144द0प्र0सं0

बैजनाथ तुरीया बनाम सुरेश पासवान वगैरह

आदेश

S. No.	Date of order of procee ding	Order with signature of the court	Office action taken with date
	15/04/2023	अभिलेख उपस्थापित। यह वाद अंचल अधिकारी, चिनियाँ के पत्रांक 43 दिनांक 08.02.2023 के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–	

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा ए0 में	उ0	द0	पू0	प0
बरवाडीह	पु0 52 न0–103	पु0 17 न0 85	0.37	बखोरी दुसाध	सीता राम दुसाध	सुरेश साव	रास्ता

प्रथम पक्षकार का कहना है कि प्रथम पक्ष क्रमांक 1. बैजनाथ तुरीया पिता झोलर तुरीया ग्राम बरवाडीह द्वारा सीता राम दुसाध पिता जोखनराम ग्राम बरवाडीह से दिनांक 28.05.1977 को रजिस्ट्री केवाला द्वारा ग्राम बरवाडीह के खाता संख्या 52 प्लॉट संख्या 17 मे 0.37 एकड़ चौहदी उत्तर–बखोरी दुसाध दक्षिण–निज विक्रेता (सिता राम दुसाध) पूर्व– सुरेश साव पश्चिम–रास्ता विवरण की भूमि क्रय किया गया है। इस भूमि पर प्रथम पक्ष दखल काबिज हुए एवं अपने खेतीबारी का उपयोग में लाने लगे वर्तमान तक दखल कब्जा में प्रथम पक्ष का ही है। यह रकबा 0.37 एकड़ का दाखिल खारीज प्रथम पक्ष बैजनाथ तुरीया के नामे में हुआ एवं मांग पंजी के पृष्ठ संख्या 155/॥ पर मांग कायम हुआ तथा मालगुजारी रसीद भी प्रथम पक्ष का कटते आ रहा है। वाद में वर्णित 0.37 एकड़ में से 0.27 एकड़ भूमि प्रथम पक्ष बैजनाथ तुरीया के नामे हाल सर्वे खतियान में रैयति खतियानी दर्ज हो गई जिसका नया खाता 103 नया प्लॉट संख्या 85 दर्ज हुआ है एवं ऑनलाईन रसीद भी प्रथम पक्षकार को कटती है तथा द्वितीय पक्षकार का इस वाद में वर्णित भूमि 0.37 एकड़ जो बैजनाथ तुरीया को विक्री उसका पिता सीता राम दुसाध ने बेचा उस पर कोई हक नहीं बनता है। यह वाद बैजनाथ तुरीया के दो पुत्र 1. अर्जुन तुरीया 2. नरेश तुरीया है जो इस वाद में वर्णित भूमि पर बैजनाथ तुरीया को ही दखल कब्जा में पाया जाता है। अन्त में अनुरोध करते है कि वाद में जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष से उठाया जाए एवं द्वितिय पक्ष के विरूद्ध निषेधाज्ञा सम्पुष्ट करने की कृपा की जाए।

द्वितीय पक्षकार का कथन है कि द्वितीय पक्ष सुरेश पासवान उनके भाई विश्वनाथ पासवान, करेश पासवान, विनोद पासवान चारो पिता सीता पासवान पूर्व क्रेता सुरेश साव पिता स्व0 बालगोविन्द साव से निबंधित केवाला संख्या 3889 दिनांक 19.06.2000 के माध्यम से उक्त खाता प्लौट की भूमि मे से रकबा $0.52\frac{1}{2}$ एकड़ चौहदी उ0 बखोरी पासवान, द0 क्रेता, पू0 विक्रेता, प0 रास्ता खरीद किया है तथा खरीदी के बाद से द्वितीय पक्ष दखल कब्जा में चले आ रहे है एवं अपने नामें दाखिल खारीज करा कर सरकारी सीरिस्ता से मालगुजारी अदा कर रसीद प्राप्त करते आ रहे है। जिसका मौजा बरवाडीह के

मांग पंजी ॥ के पृष्ठ संख्या 84/॥ पर मांग चल रहा है एवं निर्विवाद रूप द्वितीय पक्षकार उपभोग उपयोग करते चले आ रहे है। प्रथम पक्षकार के द्वारा खाता संख्या 52/3 प्लॉट संख्या 17/85 रकबा 0.33 एकड़ का चौहदी जो दिया गया है उ0 बखोरी दुसाध द0 सीता राम दुसाध पू0 सुरेश साव प0 रास्ता जो द्वितीय पक्ष की भूमि से मेल नहीं खाता है। प्रथम पक्ष की भूमि का जमाबन्दी मौजा बरवाडीह के पुराना मांग पंजी ॥ के पृष्ठ संख्या 155/॥ पर चलता है जबकि द्वितीय पक्ष का मौजा बरवाडीह के पुराना मांग मांग पंजी ॥ के पृष्ठ संख्या 84/॥ पर चलता है। यह वाद स्पष्ट करता है कि दोनो पक्ष का भिन्न–भिन्न मांग पंजी पर दर्ज अंचल अधिकारी, चिनियाँ के जॉच प्रतिवेदन पर दर्शाया गया है। द्वितीय पक्ष का अनुरोध है कि द्वितीय पक्ष को उक्त वाद से मुक्त कर प्रथम पक्ष के विरूद्ध आत्यांकित करने की कृपा की जाए। धारा 144 द0प्र0स0 की अवधि समाप्त हो गई है इसलिए वाद की समाप्त कार्यवाही समाप्त की जाती है।

13-10-23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2023.10.13 13:14:32 +05:30
Location: 10.93.21.244